अंचल अधिकारी का कार्यालय, झरिया (धनबाद)।

(3)

अभिलेख वाद संख्या-......31/20-21.......

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक- 13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या -3- खा0 म0 निति-119 / 85 / 2308 /रा0, दिनांक- 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या- 914/रा0, दिनांक- 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- ..डुमरा(?)...... , थाना- ...166..., खाता संख्या- ...49..., प्लॉट संख्या- ..853.........., रकवा- ..0.18......... एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- ...7-8 I..., के पृष्ठ संख्या- ...78............, पर जमाबंदी रैयत ...[illegible]........................ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदन किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4 (h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4 (h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..18/8/2020...... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 10.08.20

अंचल अधिकारी, झरिया।

(हस्ताक्षर) 10.08.20

अंचल अधिकारी,

झरिया।

Scanned with CamScanner

आदेश फलक

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
18/08/20	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्ष द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया गया :- 1. लगान रसीद 2. दलील सं0- 5284, दिनांक- 18.05.1950 दस्तावेज का अवलोकन किया। उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा- उपरकाण्ड्रा, थाना नं0- 166, खाता सं0- 49, प्लॉट नं0- 853 रकवा- 18 कड्ठा से संबंधित जमाबंदी सं0- 78 संदेहास्पद है। रैयत द्वारा ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्ष को पुनः नोटिस करें एवं स्पष्ट दस्तावेज की माँग करें। अभिलेख दिनांक- 18/09/20 को रखें। 18-08-20 अंचल अधिकारी, झरिया।	
18/09/20	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्ष के द्वारा कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। कोविड-19 कार्य में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित। अभिलेख दिनांक- 19/10/20 को रखें। 18-09-20 अंचल अधिकारी, झरिया।	
19/10/20	अभिलेख उपस्थापित। कोविड-19 कार्य में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित। अभिलेख दिनांक- 08/12/20 को रखें। 19.10.20 अंचल अधिकारी, झरिया।	
08/12/20	अभिलेख उपस्थापित। अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत जमाबंदी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धनबाद को भेजें। लेखापित एवं संशोधित 08.12.20 अंचल अधिकारी, झरिया। 08.12.20 अंचल अधिकारी, झरिया।	

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- डुमोचन महतो

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- पिता – –

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लाट सं0	रकवा
कुपरकाफ्रा	166	49	853	18 डी0

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....1...... पृष्ठ सं0-.....78......पर कायम है : –

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है –

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- अनावाद बिहार सरकार

6. किस सक्षम प्राधिकार/ पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- कोई आदेश नहीं

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- लागु नहीं

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती :-

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त जमाबन्दी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः BRL Act 1950 के धारा 4(h) के तहत कारवाई की जा सकती है।

(हस्ताक्षर) राजस्व उप निरीक्षक, झरिया।

(हस्ताक्षर) अंचल निरीक्षक, झरिया।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, झरिया (धनबाद)।

वाद अभिलेख संख्या-........31.../ 2020-21 (अंतर्गत धारा- 4 (h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम..........दुर्योधन महतो........

....

सा० - उपर कान्ड्रा

....

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-.......उपर कान्ड्रा/थाना नं0-.....166 खाता नं0-......49...... खेसरा नं0-.......853.......,रकवा-.......18 डी०.......से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0-.......VIII....... के पंजी-II भाग.......I....... के पृष्ठ.......78....... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरांत संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-.......18.09.2020को समय- 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्त से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/ साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

18.08.2020

मुहर

अंचल अधिकारी,
झरिया।

तिथि :- 18.08.2020

स्थान :- ....झरिया

Scanned with CamScanner